

**झारखण्ड सरकार**  
**श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग**  
**नामांकन सूचना**

दुमका जिले के अर्न्तगत नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन की सूचना :-

निम्नांकित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एस0 सी0 भी0 टी0 (S.C.V.T.) के अर्न्तगत सत्र- 2017 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक संस्थान के सामने अंकित व्यवसाय में प्रवेश के निमित्त इच्छुक महिला एवं पुरुष उम्मीदवारों से अनुसूची- "क" के अनुसार हस्त लिखित / टंकित आवेदन पत्र दिनांक :- 26.09.2017 के अपराह्न 5.00 बजे तक जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, दुमका, पिन - 814101 के पते पर निबंधित डाक द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं -

**1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राणेश्वर (दुमका)**

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	कुल युनिट	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि
1	विद्युत	3	4	5
1.		1+1=02	21	दो वर्ष

**2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मसलिया (दुमका)**

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	कुल युनिट	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि
1	फीटर	3	4	5
1.		1+1=02	21	दो वर्ष

**3. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जामा (दुमका)**

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	कुल युनिट	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि
1	विद्युत	3	4	5
1.		1+1=02	21	दो वर्ष

**4. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रामगढ़ (दुमका)**

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	कुल युनिट	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि
1	फीटर	3	4	5
1.		1+1=02	21	दो वर्ष

**5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोपीकान्दर (दुमका)**

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	कुल युनिट	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि
1	विद्युत	3	4	5
1.		1+1=02	21	दो वर्ष

**6. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शिकारीपाड़ा (दुमका)**

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	कुल युनिट	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि
1	फीटर	3	4	5
1.		1+1=02	21	दो वर्ष

**7. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, काठीकुण्ड (दुमका)**

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	कुल युनिट	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि
1	विद्युत	3	4	5
1.		1+1=02	21	दो वर्ष

**1. प्रवेश पाने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है-**

(क)-व्यवसायों में नामांकन के लिए माध्यमिक/10 वीं /समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

(ख)- नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंके के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्राप्तांक /मेरिट के आधार पर नामांकन नियमानुसार किया जायेगा।

**2. आयु अहर्ता -**

(क)- 01 जुलाई 2017 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होना चाहिए।

(ख)- सैन्य कार्यवाही में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष।

आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10वीं समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबधिक प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि ही वैध होगा।

**3. प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण की अवधि में अनुशासन का पालन करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण कभी भंग नहीं करेंगे।**

**4. प्रवेश के समय प्रशिक्षणार्थियों को 50/- (पचास रुपये) मात्र कौशन मनी के रूप में जमा करना होगा। अगर छात्रों द्वारा संस्थान का कोई सामान खो जाने या सामान को जागबुझ कर तोड़ दिये जाने पर उसकी कीमत कौशन मनी से काट ली जायेगी तथा अन्य उचित कार्यवाई की जायेगी। उत्तीर्ण करने के बाद छात्र एक वर्ष के अन्दर कौशन मनी वापस नहीं लेते हैं तो इसे जब्त कर लिया जायेगा और सरकारी खजाना में जमा कर दिया जायेगा। सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।**

**5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृत्ति मिल सकती है।**

**6. आरक्षण अहर्ता - (क) आरक्षण का प्रावधान कर्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक- 7/नीति(आरक्षण)-06/2001 का 10-5886/रॉसी, दिनांक- 21.09.2011, के अनुसार रहेगा।**

(ख) मेरिट से चुने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा। बल्कि खुली गुणा-गुण कोटि के 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध माना जायेगा।

(ग) प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्वीकृत सीटों के 30 प्रतिशत सीट सुपरन्यूमरी है, अर्थात् कुल सीट = स्वीकृत सीट के 30 प्रतिशत अतिरिक्त सीट।

(घ) सुपरन्यूमरी सीट की एक-एक सीट दिव्यांग एवं भूत पूर्व सैनिक के आश्रितों के लिए (किसी भी वर्ग के) आरक्षित है।

(ङ) बाकी बचे सुपरन्यूमरी सीट में अनुसूचित जन-जाति/ अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

**7. आवसीय अहर्ता -सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं जो झारखण्ड राज्य के निवासी हैं या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कर्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक - 14/स्थानीयता नीति -14-03/2016 का 4650, दिनांक - 02 जून 2016 (संकल्प संख्या - 3198 दिनांक- 18.04.16 में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**

**8. जाति आधारित अहर्ता- नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**

**9. आवेदन प्रपत्र के साथ स्वअभिप्रेमाणित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, निवासी प्रमाण पत्र (कंडिका 8 के अनुसार), जाति प्रमाण पत्र (कंडिका 9 के अनुसार), स्वपता लिखित-लिफाफा (6cm x 4cm) 5/- ( पाँच ) रुपये का डाक टिकट सहित एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।**

**10. साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों का मूल प्रति जमा करना अनिवार्य है।**

**11. आवेदन पत्र एवं नामांकन हेतु दिशा निर्देश [www.dumka.nic.in](http://www.dumka.nic.in) पर देखा जा सकता है।**

नोट :-1. आवेदन के लिफाफे पर जिस संस्थान के लिए आवेदित हो उसका नाम साफ अक्षरों में अंकित करना अनिवार्य होगा।

2. अनुसूची "क" प्रपत्र संस्थान के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है।

3. त्रुटिपूर्ण आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा। साथ ही निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. नामांकन की सूचना को जिला नियोजनालय, दुमका के सूचना पट पर देखा जा सकता है।

  
नोडल पदाधिकारी  
दुमका।

**अनुसूची "क"**

**नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र**

आवेदक अपना पूर्ण  
हस्ताक्षर युक्त  
पासपोर्ट साईज फोटो  
चिपकायें।

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम :- .....
2. उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :- .....
- (हिन्दी में) :- .....
3. (क) पिता का नाम :- .....
- (ख) अभिभावक का नाम :- .....
4. पिता /अभिभावक का पेशा :- .....
5. उम्मीदवार का पूरा पता :- .....
- (क) स्थायी पता :- .....
- (ख) धाना :- ..... गृह जिला ..... पिन नं० .....
- (ग) पत्राचार का पता :- .....

- (घ) मोबाईल नं० :- ..... ई मेल :- .....
6. उम्मीदवार का निकटतम रेलवे स्टेशन :- .....
7. जन्म तिथि (प्रमाण-पत्र अभिप्रमाणित प्रति के साथ) :- .....
8. दिनांक 01 जुलाई 2017 को आयु :- .....
9. शैक्षणिक योग्यता :- .....
- कृपया प्रवेशिका से लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का विवरण दें :-

क्र०	परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	विद्यालय / महाविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष (वार्षिक/पूरक)	श्रेणी	प्राप्तांक	कुल अंक	परीक्षा के विषय	अभ्युक्ति
1.									
2.									
3.									
4.									

नोट :- आवेदक सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करे।

10. क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं ? :- .....
  11. क्या उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित हैं ? :- .....
  12. क्या उम्मीदवार दिव्यांग हैं ? .....
  13. पिता /अभिभावक की वार्षिक आय और परिवार के वयस्क एवं नाबालिक दोनों की अगल-अलग संख्या :- .....
  14. अनुलग्नक की विवरणी :- 1) ..... 2) ..... 3) .....
  - 4) ..... 5) ..... 6) ..... 7) .....
- मैं ..... पिता का नाम ..... प्रमाणित करती हूँ/ करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई है एवं सही है।

आवेदन देने की तिथि :- .....

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :- (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग /भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित एवं वरीगति प्राप्त सैनिक के आश्रितों को अंचल पदाधिकारी /जिला उपायुक्त/जिला सोलजर्स बोर्ड (जो संबंधित प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम हो) से उक्त वर्ग के होने का प्रमाण पत्र स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

(2) दिव्यांगों को अपना आवेदन पत्र देते समय एक फुल साइज का फोटो देना होगा तथा जिला अस्पताल के आर्थो-पेडिक्स के विभागाध्यक्ष/ जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (Civil Surgeon) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।